

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**Need for setting up a Supreme Court Bench at
Bangalore in Karnataka**

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY (Karnataka): Sir, I have a request to make. The Special Mentions are not being replied to.

Sir, my Special Mention relates to the setting up of a Supreme Court Bench in Bangalore.

The litigant public of the Southern States and, particularly, from Karnataka, have been put to great hardships in approaching the highest court in the country, that is, the Supreme Court, for final justice in various cases. It is difficult for the litigant public to go to New Delhi several times to pursue their cases. A large number of appeal cases are filed year after year from the Southern States. In order to provide justice at the doors of the common man, it is necessary to set up a Bench of the Supreme Court in Bangalore. Bangalore has got all infrastructure facilities and it is the IT capital of the country. Therefore, I request the Government of India to set up a Bench of the Supreme Court in Bangalore. Thank you.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I associate myself with what Shri K.B. Krishna Murthy has stated.

**Concern over the discharge of effluents in the Bagad River
Jyotiba Phule Nagar of Uttar Pradesh by a Chemical Factory**

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। उत्तर प्रदेश के ज्योतिबा फुले नगर जिले में स्थित गजरौला कस्बे में एक कैंमिकल उद्योग का संयंत्र है। इस संयंत्र के पास से होकर बगद नदी बहती है। इस उद्योग का जहरीला स्राव इसी बगद नदी में गिराया जा रहा है। कारखाने से निकलने वाला डिस्चार्ज इतना जहरीला है कि इससे बगद नदी का जल तो जहरीला हो ही गया है, नदी के किनारे आने वाले संभल लोक सभा क्षेत्र के दो विधान सभा क्षेत्र, गंगेश्वरी एवं गुनौर के 120 गांवों में पीने का पानी भी जहरीला हो गया है। नलों एवं कुओं का पानी पांच मिनट रखने के बाद पीला हो जाता है जिससे व्यक्तियों में बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, पशुओं में तमाम रोग पैदा हो रहे हैं तथा खेत कृषि योग्य नहीं रह गए हैं। बगद नदी को पार करके जो किसान अपने खेतों तक जाते हैं, वे गंभीर चर्म रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इस प्रकार जनता के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है।

अतः मेरी मांग है कि उक्त संयंत्र का लाइसेंस निरस्त करके उसे तत्काल बंद करने, गांवों में पानी उपलब्ध कराने तथा बगद नदी पर लगभग बीस स्थानों पर नदी के विपरीत पानी से जनता को

बचाने के लिए पुल बनाने और अभी तक हुई जनहानि के लिए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।

† श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

شری ابو عاصم اعظمی: مہودے، میں ماننے سے خود کو سبب کرتا ہوں۔

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री भगवती सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: नहीं, आप केवल एसोसिएट करिए।...(व्यवधान)... इसमें कुछ बोलने के लिए...(व्यवधान)... इसमें नहीं बोल सकते।

श्री कमाल अख्तर: सर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री उपसभापति: वह ठीक है आप एसोसिएट कीजिए।

श्री कमाल अख्तर: कुछ बातें हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: स्पेशल मैशन में अब और गुंजाइश नहीं है।

श्री कमाल अख्तर: सर, मुझे केवल एक मिनट का टाइम दे दीजिए।

श्री उपसभापति: आप इससे स्वयं को संबद्ध कर दीजिए, इससे एसोसिएट हो जाइए।

श्री कमाल अख्तर: एसोसिएट तो मैं कर ही रहा हूँ।

श्री उपसभापति: बस ठीक है। बाकी अलग से दे दीजिए क्योंकि स्पेशल मैशन में दूसरी और कोई चीज़ नहीं आती है।

श्री कमाल अख्तर: सर, स्पेशल मैशन से अलग...(व्यवधान)... यह आठ लाख लोगों की जिंदगी का मामला है। गंगा के प्रदूषण का मामला है और लाखों के साथ जो भोपाल गैस कांड पहले हुआ, उसकी पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: रूल्स के हिसाब से आप एक नोटिस दे दीजिए। ... (व्यवधान)...

श्री कमाल अख्तर: उपसभापति महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप इसमें रूल्स के हिसाब से या तो काल अटेंशन भेजिए या और किसी रूल के अंदर देकर आप उसको डिस्कशन में लाइए। इससे कुछ नहीं होने वाला है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Special Mentions are over. Shri Md. Ali Ashraf Fatmi will introduce the Bill.

GOVERNMENT BILLS

The Manipur University Bill, 2005

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALIASHRAF FATMI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating university in the State of Manipur and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MD. ALIASHRAF FATMI: Sir, I introduce the Bill.

The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1994

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to move:—

That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, be taken into consideration.

Sir, the need for amending various provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 has continued to be felt for toning up of the investigating machinery and process, strengthening the prosecution-related machinery, streamlining and improving procedures, especially from the point of view of expediting trial court procedures, tackling problems of undertrials and matters connected with the grant of bail and effective miscellaneous improvements. Accordingly, the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1994 was introduced in the Rajya Sabha on 9th May, 1994. The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee which considered